अशोधित प्रति/प्रकाशनार्थ नहीं

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 9 बारहवीं विधान सभा के नवें सत्र का तीसरा दिवस संख्या 3

बुधवार;
20 फरवरी, 2008

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: राम-राम साहब, राम-राम।

अनेक माननीय सदस्य: जय राम जी की।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कल से गतिरोध बना हुआ है।

तारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य में विद्युत उपभोग हेतु खरीद एवं आपूर्ति

20. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में विद्युत उत्पादन में वृद्वि हुई है? यदि हां, तो विगत पाँच वर्षों में हुई उत्पादन वृद्वि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य में विद्युत आपूर्ति में भी वृद्वि हुई है। यदि हां, तो विगत पाँच वर्षों में की गई विद्युत आपूर्ति का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य में आवश्यकतानुरूप विद्युत खरीद भी करनी पड़ती है? यदि हां, तो विगत पाँच वर्षों में की गयी विद्युत खरीद का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राज्य में विगत दस वर्षों में कृषि एवं घरेलु विद्युत दरों में वृद्वि की गयी है? यदि हां, तो कब-कब? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सदन की नेता एक मिनट के लिये हाउस में नहीं आयी हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्नकाल चलने दीजिये ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिए सदन की नेता हाउस में नहीं आयी हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वही तो सवाल कर रहे हैं ...(व्यवधान) आपके नेता को बोलने दें ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप पहले प्रश्नकाल चलने दीजिये ...(व्यवधान) प्रश्नकाल चलने दीजिये ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): बहस करने का कोई मतलब नहीं समझ में आता है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपसे निवेदन है कि आप प्रश्नकाल पहले चलने दीजिये ...(व्यवधान) प्रश्नकाल चलने दीजिये ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सदन की नेता चूंकि राजस्थान की वित्त मंत्री भी हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब नेता, प्रतिपक्ष बोल रहे हैं। आप स्थान ग्रहण कीजिये ...(व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं ...(व्यवधान) हां, बोलें ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): पहला सवाल है बिजली का, बिजली संबंधी सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, पहले नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, फिर बात करेंगे ...(व्यवधान) आपको मौका मिलेगा ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): कांग्रेस के लोग ...(व्यवधान) हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): [000]

श्री उपाध्यक्ष: माननीय नेता, प्रतिपक्ष बोलना चाहते हैं पहले। स्थान ग्रहण कीजिये, बीच में नहीं बोलें ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

श्री उपाध्यक्ष: अब सुनने दें ...(व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): 000

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): 000

---

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में गतिरोध बना हुआ है ...(व्यवधान) गतिरोध दूर करने के लिए हाउस को आर्डर में लायें, फिर हाउस चलेगा ...(व्यवधान)

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) जी हां। विगत पाँच वर्षों में राज्य को 1871.52 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता उपलब्ध हुई है जिसका विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर उपलब्ध है। 1 जनवरी, 2003 को राज्य की कुल उत्पादन क्षमता 4520.42 मेगावाट थी जो अब बढ़कर 6391.94 मेगावाट हो गई है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप व्यवस्था दीजिये, उसके बाद में हाउस चलेगा। आपकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। हाउस तो आर्डर में है ही नहीं, कल भी पूरा दिन ऐसे ही गया और आज भी अगर आपकी तरफ से ...(व्यवधान)

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री गजेन्द्र सिंह): 1 जनवरी, 2003 को राज्य की कुल उत्पादन क्षमता 4520.42 मेगावाट थी जो अब बढ़कर 6391.94 मेगावाट हो गई है।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हाउस कैसे चलेगा ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): [000]

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्नकाल चलने दीजिये, प्रश्नकाल चलने दीजिये माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

सदन में नारेबाजी

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री गजेन्द्र सिंह): (2) जी हां। राज्य में वर्ष 2003 में 2546 करोड़, वर्ष 2004 में 2939 करोड़, वर्ष 2005 में 3103 करोड़, वर्ष 2006 में 3222 करोड़ व वर्ष 2007 में 3467 करोड़ यूनिट बिजली की आपूर्ति की गयी है।

(3) जी हां। रबी की फसल के लिये किसानों को पर्याप्त मात्रा में विद्युत उपलब्ध कराने हेतु आवश्यकतानुसार विद्युत खरीदनी पड़ती है। वर्ष 2003 में 7 करोड़, वर्ष 2004 में 55 करोड़, वर्ष 2005 में 61 करोड़, वर्ष 2006 में 72 करोड़ तथा वर्ष 2007 में 141 करोड़ यूनिट की खरीद की गयी है।

(4) जी हां। गत 10 वर्षों में कृषि एवं घरेलू श्रेणी की विद्युत दरों में तीन बार वृद्वि की गयी जिसका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है। वर्ष 1999 तथा 2001 में कृषि एवं घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं की दरों में वृद्वि का भार उपभोक्ताओं पर डाला गया था परन्तु दिसम्बर, 2004 में बढ़ी हुई कृषि एवं छोटे घरेलू उपभोक्ताओं की दरों

---

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

का समस्त भार राज्य सरकार ने वहन किया है और इस हेतु रूपये 1114 करोड़ का पुनर्भरण विद्युत कम्पनियों को 2004-05 से 2007-08 तक किया है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मेरा सप्लीमेंट्री सवाल है, इस योजना से ...(व्यवधान) आप कब तक आत्मनिर्भर हो जायेंगे, राजस्थान का बिजली विभाग कब तक अपने पैरों पर खड़ा हो जायेगा, मंत्री जी कृपया जवाब दें। जब केन्द्र से पूरा असहयोग हो रहा है जब केन्द्र से सहयोग नहीं मिल रहा है तो आप कब तक अपने पैरों पर खड़े हो जायेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अगला प्रश्न बोलें ...(व्यवधान)

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री गजेन्द्र सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की विद्युत दरों में हमारी सरकार ने कोई भी वृद्वि नहीं की है, पिछली सरकार ने ...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): तीन महिनों में खड़ी हो जायेगी सरकार अपने स्तर पर।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री गजेन्द्र सिंह): कांग्रेस ने 80 प्रतिशत किसानों की बिजली के भाव बढ़ाये, हमारी सरकार ने अभी तक एक भी नया पैसा नहीं बढ़ाया है और हमारा विचार भी नहीं है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न संख्या 21 । प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 23 ।

सदन में नारेबाजी

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी जारी)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): क्या राज्य सरकार बिजली की दरें बढ़ायेंगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ना बढ़ायी है और ना बढ़ायेंगे।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री गजेन्द्र सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने चार साल में एक नया पैसा नहीं बढ़ाया है किसानों का और इस वर्ष भी हम कोई भी भार किसानों पर नहीं डालेंगे।

सदन में नारेबाजी

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी जारी)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): धन्यवाद।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय मंत्री जी यह बतायें कि भारत सरकार ने राजीव गांधी विद्युतिकरण में कितना पैसा दिया और अगर नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया? भारत सरकार ने राजीव गांधी योजना में एक पैसा भी नहीं दिया, इस कांग्रेस की भारत सरकार ने।

सदन में नारेबाजी

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी जारी)

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री गजेन्द्र सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, हमारी 33 योजनाओं में से खाली 17 योजनाओं को स्वीकृति मिली है और उसकी भी हमें पूरी राशि नहीं मिली है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): भारत सरकार ने पैसा नहीं दिया ...(व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): हमारी सरकार बिजली में कौनसे साल तक आत्मनिर्भर हो जायेगी ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सदन की बैठक साढ़े 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.08 बजे 12.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

jyg/akt/20.2.8/12.30/1k

(12.30 बजे)

(पुनः समवेत् होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं स्थगन प्रस्ताव पढ़ कर सुना रहा हूं। ...(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप पहले व्यवस्था कीजिए कि स्थगन प्रस्ताव होगा या स्थगन होगा। ...(व्यवधान)... यह सदन चलेगा नियम और कानून के अंतर्गत ...(व्यवधान)... ।

श्री उपाध्यक्ष: व्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। ...(व्यवधान)... आप बात तो सुनिए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ...(व्यवधान)... यह सदन नियम और कानून के अंतर्गत चलेगा। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: जोशीजी, बात सुनिए। ...(व्यवधान)... आपस में सहमति बन रही है, बातचीत हो रही है इसलिए सदन की बैठक आधे घण्टे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.32 बजे आधे घण्टे के लिए स्थगित हुई।)

Gpc/usc/20022008/1300/1n

(13.02 बजे)
(पुनः समवेत् होने पर)
(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मुख्यमंत्री जी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रही हूं कि दो दिन से हाउस को जिस हालत में रखा हुआ है, जिस इश्यू के ऊपर हम लोग इस डेडलॉक पर पहुंचे है उस इश्यू के ऊपर हमने हमारे ए.जी. साहब की ओपिनियन ली है। वह ओपिनियन बड़ी क्लीयरली हमारे सामने आई हुई है। मैं चाहती हूं इस ओपिनियन को मैं टेबल ऑफ दी हाउस के ऊपर रखना चाहूंगी और साथ ही साथ मैं यह मानती हूं कि एक दफे सब यह पढ़ लें और पढ़ने के बाद आपको फिर ऐसा लगता है कि इसमें कोई ऐसी बात है जिसको आप डिसकस करना चाहते हैं उसके लिए या तो हाउस के अंदर अपन डिसकस कर सकते हैं या बाहर भी हमारे चेम्बर में, या स्पीकर साहब के सामने हम इसको बैठकर डिसकस कर सकते हैं। मैं समझती हूं कि इसमें ओपिनियन बहुत ही क्लीयरली निकला है उसको पढ़ने के बाद आप जैसा चाहेंगे वैसा हम लोग करेंगे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्रीजी की भावना से ज्यादा जरूरी यह है कि राजस्थान विधान सभा संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चले। संविधान के आर्टिकल 208 के अंतर्गत राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम बने हुए हैं उन प्रक्रिया के नियमों के अंतर्गत ..(व्यवधान)..

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): इसमें मैं क्लीयरली यह कहना चाहती हूं कि बहस करना चाहते हैं तो वहां से भी बहस हो जाए, यहां से भी बहस हो जाए। यह मैं टेबल पर रख देती हूं उसके बाद विचार करके उसके बाद अंदर हाउस में बहस करना चाहें या बाहर बैठना चाहें, जैसा आप करना चाहें वैसा करें, परन्तु आप उसकी व्यवस्था दे दें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, सरकार चलती है अपने बिजनेस रूल्स के अंतर्गत, विधान सभा चलती है राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया और नियम के अंतर्गत। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के अंतर्गत स्पीकर महोदय ने जो रूलिंग दी है उस रूलिंग के अंतर्गत हम कोई सरकार की मर्सी पर नहीं हैं। ..(व्यवधान).. उपाध्यक्ष महोदय, सदन चलता है नियम और कानून के अंतर्गत। नियम और कानून ..(व्यवधान)..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सदन की नेता ने कहा दिया है कि सदन को चलाना चाहते हैं। राजस्थान की पाँच करोड़ जनता देख रही है। हम सदन चलाना चाहते हैं। ..(व्यवधान)..

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप अपनी मेजोरिटी से नियम और कानून को इंटरप्रेट नहीं कर सकते। नियम और कानून का इंटरप्रिटेशन मेजोरिटी से नहीं होता। ..(व्यवधान).. नियम और कानून का इंटरप्रिटेशन ..(व्यवधान)..

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजस्थान का दौरा करें। ..(व्यवधान)..

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत आप आसन को चलाने के लिए अधिकृत नहीं हैं। आप अधिकृत हैं संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत, आर्टिकल 208 के अंतर्गत राजस्थान विधान सभा ने जो नियम बनाये हैं उन नियमों की बाध्यता से आप हाउस चलाते हैं, आप सरकार की मनमर्जी से नहीं चलाते। उन नियमों को आप जब तक अमेण्ड नहीं करेंगे तब तक जो रूल का प्रोविजन है उस रूल के प्रोविजन को मानना पड़ेगा। रूल के प्रोविजन के अंतर्गत स्पीकर महोदय ने रूलिंग दी है यहां पर ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मिनिस्टर हैं। इसका इंटरप्रिटेशन विधान सभा के अंदर है वही इंटरप्रिटेशन राइट होगा। रूल्स के अंदर तो सरकार करती रहे। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, हम आपसे फिर निवेदन करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो स्टेंड है उस पर राज्य सरकार खेद व्यक्त करे। ..(व्यवधान).. जब सरकार के नोटिस में आ गया कि यह गलत काम हो रहा है तो अमेण्डमेंट करना चाहिए सरकार को। सरकार अमेण्डमेंट भी नहीं करे ..(व्यवधान).. यह नियम और कानून के अंदर चलेगी। ..(व्यवधान)..

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्रीजी यह बताएं आज दिन तक हाउस असेम्बल होने तक आपने एडवोकेट जनरल की राय क्यों नहीं ली थी, आज ही अलग क्यों आया? दो दिन हाउस चला ..(व्यवधान)..

श्री उपाध्यक्ष: अब बहस किस बात की? यह बहस किस बात की? ..(व्यवधान).. किस बात की बहस कर रहे हैं आप? माननीय सदस्य, यह बहस किस बात की है ..(व्यवधान)..

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नियम और कानून बने हुए हैं, सरकार की मनमर्जी नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हम बहस के लिए तैयार हैं। ..(व्यवधान)..

श्री उपाध्यक्षः आपने अपनी बात कह दी, आप स्थान ग्रहण कीजिए। आपने अपनी बात कह दी। आपने कह दिया। इसमें क्या एतराज है? आपको एतराज क्या है इसमें?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बहस के लिए तैयार हैं। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। ..(व्यवधान)..

श्री उपाध्यक्षः माननीय जोशी जी। आपने कह दी अपनी बात। आपने अपनी बात कह दी। कह दी अपनी बात। ..(व्यवधान)..

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जो नियम बने हुए हैं उन नियमों के अंतर्गत सरकार यदि खेद व्यक्त करे ..(व्यवधान)..

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, आप हमें बाध्य न करें। आप सदन की गरिमा को बनाये रखें। सदन की गरिमा को बनाये रखने की जिम्मेदारी स्पीकर की है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सदस्य हमेशा सदन को गुमराह करने का प्रयास करते हैं।

श्री उपाध्यक्षः आपने अपनी बात कह दी। कह दी आपने अपनी बात। माननीय सदस्य, आपने कह दी अपनी बात। ..(व्यवधान)..

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप नियम और कानून से ऊपर नहीं हैं उपाध्यक्ष महोदय। ..(व्यवधान)..

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ये नहीं चाहते कि जनता के कोई मुद्दे हाउस में आये। कल्ला साहब नहीं चाहते।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, आप कार्यवाही आगे चलाएं। विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है। ये किसी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं। प्रश्नकाल को भी इन्होंने खराब किया और जब सदन की नेता ने खुली चुनौती दे दी तो इनमें हिम्मत है तो चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और चुनौती को स्वीकार करके भागना चाहते हैं, ये हंगामा करके समय बर्बाद करना चाहते हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): विधान सभा नहीं चलेगी। विधान सभा नियम और कानून के अंतर्गत चलेगी।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, कोई जानकार पंडित से पतड़ा दिखवाकर यह पता करवाया जाए कि यह हाउस जबसे नया बना है इसमें गतिरोध ही रहा है। कोई जानकार पंडित से राय ले ली जाए कि यह गतिरोध कैसे समाप्त होगा।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): जब नियमों में अमेण्ड कर दिया ..(व्यवधान).. यह सारा मामला रूल्स कमेटी को रेफर कर दें। ..(व्यवधान)..

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): यह राज अच्छा है या नहीं है यह जनता बताएगी, आपके बताने से नहीं होता है। ..(व्यवधान).. आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है ..(व्यवधान).. आपको तो आपकी पार्टी ने भी निकाल दिया। ..(व्यवधान).. आपकी पार्टी ने ही आपको ठुकरा दिया।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): वहां से ही कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। ..(व्यवधान)..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने सारी बात साफ-साफ कह दी।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): सरकार ने इस विषय पर राय हमारे समक्ष रख दी है।

श्री उपाध्यक्ष: आपने अपनी बात कह दी। आप मेरी बात सुनें ..(व्यवधान)..

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): उपाध्यक्ष महोदय, विधि विशेषज्ञ की राय सरकार ने हमारे समक्ष रखी है। ..(व्यवधान)..

एक माननीय सदस्य: कांग्रेस जनता विरोधी पार्टी है। ..(व्यवधान)..

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): विधि विशेषज्ञ की राय आने के बाद सदन यह तो जाने कि वह राय क्या है। उस पर चर्चा की जा सकती है। ये गतिरोध दूर नहीं करके समय बर्बाद कर रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप रूल्स कमेटी को रेफर करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने सारी बात साफ कह दी है ..(व्यवधान)..

मोहन/चौहान/20022008/1310/1o

सदन की नेता ने साफ कहा, यह जो एडवोकेट जनरल की रिपोर्ट है, इस पूरे मामले में। ...(व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस बात पर। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: आपकी बात सुनेंगे, पहले बोल रहे हैं मंत्री आप उनके बोलने के बाद बोलो। माननीय सदस्य, मैंने पहले उनको अलाउ कर दिया। आप बात सुनिए। इसी बात की बहस हो रही है, आप सुनना नहीं चाहते। माननीय सदस्य, आप बिना परमिशन के बोल रहे हैं, आपकी कोई बात अंकित नहीं होगी। माननीय सदस्य, पहले पार्लियामेंटरी मिनिस्टर खड़े हो चुके हैं और मैंने उनको अलाउ कर दिया। आपको मौका दिया जाएगा, बीच में नहीं। आप स्थान ग्रहण कीजिए, अंकित नहीं होगा यह।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह लगता है कि प्रतिपक्ष विधान सभा से भागना चाहता है। यह पहली बार है कि प्रतिपक्ष विधान सभा में बहस सुनने को तैयार नहीं है। सदन की नेता ने स्पष्ट कह दिया, पूरे पांच करोड़ राजस्थान की जनता आज इस सदन की कार्यवाही की तरफ देख रही है। आज दो दिन हो गये, उपाध्यक्ष महोदय, एक ऐसा विषय जो संविधान के प्रावधानों से जुड़ा है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उस पर कानून है और कानून ...(व्यवधान)... एडवोकेट जनरल की रिपोर्ट को टेबल किया है और उस रिपोर्ट के आधार पर उसके बाद भी अगर प्रतिपक्ष उसमें बहस करना चाहें, चाहे सदन में बहस करें, सदन के बाहर बहस करें, आपके वेश्म में बहस करें उसके लिए सत्ता पक्ष बिलकुल तैयार है।

एक माननीय सदस्य: 000

श्री उपाध्यक्ष: आप बिना परमिशन के बोल रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

श्री हीरालाल (निवाई): 000

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आगे का बिजनेस पुकारें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की नेता ने साफ साफ कह दिया बहस करना चाहें तो सदन में तैयार हैं, सदन के बाहर तैयार हैं, उसके बाद भी यह मुद्दा ...(व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 000

श्री उपाध्यक्ष: यदि माननीय सदस्य, बार बार आप वही बात दोहरा रहे हैं, आपने बात कह दी, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, आप बिना परमिशन बोले हैं। आपको परमिशन नहीं दी, आपका कुछ अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, आपने कह दी अपनी बात, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप बैठ जाइए, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 000

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): 000

श्री उपाध्यक्ष: आप बिना परमिशन बोल रहे हैं, माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं होगा। मैं परमिशन दूंगा, आप समय मांगें, आपको बहस करनी है तो आपको समय दिया जाएगा। ...(व्यवधान)... आप कर रहे हैं नियम की बात ? बहस होगी,

---

000 अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

आप बीच बीच में चलते चलते, माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए। ...(व्यवधान)... तो ठीक है, बात आ गई आपकी। आप बिना परमिशन बोल रहे हैं, अंकित नहीं होगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): [000]

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि जो भी विषय आपके सामने इस समय सदन में है और जिसके कारण से पिछले दो दिन से चर्चा रूकी हुई है, आखिर इसका कोई न कोई रास्ता निकाल कर हमको सदन को ऑडर में लाने की मंशा आपकी भी है और हमारी भी है। मैं सोचता हूं, इसमें विवाद कहां रहा जब मुख्य मंत्री जी ने ...(व्यवधान)... एक सैकण्ड, मेरी बात सुन लें, आपको समझ में आए तो वह तो ठीक है।

जब आपने यह कह दिया कि ए.जी. की राय जो है, वह मैं सदन के पटल पर रखती हूं, आप लोग उसे पढ़ लें और पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि इसमें कोई विरोधाभास है या इसमें कहीं कमी खामी है तो बहस के आधार पर अगर बात को अपनी रखना चाहें तो रख लें।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): व्यक्तिगत मिल कर के बात करना चाहें किसी बिन्दु पर कि यहां इसमें कानूनी यह पेचीदगी है और यह इसका रास्ता है तो मिल बैठ करके उसका रास्ता तय किया जा सकता है। निर्णय तो आप और हमको मिल कर के ही करना पड़ेगा और इसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा और हाउस को ऑर्डर में लाना होगा। हमारी और सदन की नेता की मंशा यह है कि हाउस चले। जनता ने जिस दृष्टि से हमको यहां भेजा है उसकी पूरी पालना करें और किसी के मन में यह नहीं है कि हाउस नहीं चले। अगर किसी बिन्दु पर हमारी भिन्नता है तो हम समझ लें और समझने की कोशिश करें और उसके आधार पर जो भी हल मिल बैठ कर के निकालना चाहें, कानूनी अगर उसमें कोई पेचीदगी है और उसमें आप अपनी तरफ से कोई चीज कहना चाहें तो जरूर कहें ताकि उसको सुन कर के समझें और एक सार्थक चर्चा भी हो क्योंकि यह कानूनी मुद्दा आकर के जब अटक गया है तो

---

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

चर्चा से ही उसका हल निकलेगा। यहां निकालना चाहें, यहां निकालें, बाहर अगर आपके चेम्बर में बैठ कर के वहां चर्चा करना चाहें, वहां करें और उसके बाद उसका जो रास्ता आपको और हमको दोनों मिल कर के निकालता है वह रास्ता निकालने की कोशिश करें तो मैं सोचता हूं कि हम ठीक तरह से उस चर्चा को आगे बढ़ा सकेंगे। मेरी प्रार्थना अगर आप स्वीकार करें तो यह है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी की बात को आगे बढ़ाते हुए एक निवेदन करना चाहूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी भी अध्यक्षीय व्यवस्थाएं हुई हैं, आप उनका पंडारा बॉक्स खोलेंगे कि हर व्यवस्था के ऊपर आप एडवोकेट जनरल की राय लेंगे क्या ? जो 29 फरवरी, 2005 को अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि संसदीय सचिवों को मंत्रि मण्डल का सदस्य मानते हुए ओम बिरला जी को बिल पायलेट करने के लिए किया और यह प्रोसीडिंग में है, अध्यक्षीय व्यवस्था है। अगर आप ए.जी. की रिपोर्ट लाएं, इसका मतलब यह हुआ कि जितनी बार आसन से व्यवस्था दी गई है, सब पर ए.जी. की लाय लेंगे क्या ? यह नया पंडारा बॉक्स खोलेंगे ?

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): आप खाली उसको पढ़ तो लें, यह सब जो आपको दुविधाएं हो रही हैं, वह एक दफा के लिए उसमें खत्म हो जाएंगी। जो आपके हाउस के इश्युज हैं वह सब चीज को उसमें टेकल, डील किया है, आप एक दफा पढ़ लें न। उसको पढ़ने के बाद मैंने यह कहा क्लियरली हाउस के अन्दर कि पूरे हाउस को रेंथम पर रखने के बजाय सब की निकालें जब अपने ऊपर हैं तो एक दफा या तो उसके अन्दर अपन इसकी बहस करके खतम कर लें या अपन बाहर बैठ कर के इसको सुलझाने की कोशिश करें।

सुरेन्द्र/चौहान/20.02.2008/13.20/1p

रास्ता जैसा अभी आपको होम मिनिस्टर साहब ने कहा, निकालना अपने को है, यह आपको और हमको दोनों को निकालना है तो यह आर्ग्यूमेंट अपन बार-बार एक विसियस साइकिल में कम्पलीट करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: इसमें आब्जैक्शन की क्या बात है?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप मेरी बात को सुन लें। आब्जैक्शन यह है कि हाउस सम्मन होने के समय तत्कालीन जो हमारे स्पीकर महोदय जी थे उनसे हम मिले थे और उन्होंने एडवोकेट जनरल की राय के लिए सरकार को भेज दिया। सरकार आज लाकर के ले कर रही है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ...... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सारी बातें इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आप सदन की.... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): काहे को बोलें। (व्यवधान) काहे को पढ़े। (भारी व्यवधान)

एम माननीय सदस्य : ...... तय कर लिया है कि हाउस को चलने नहीं देना है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस पार्टी का दफ्तर नहीं है, यह राजस्थान की विधान सभा है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह विधान सभा है, यह मुख्य मंत्री के चमचों की दुकान नहीं है। यह विधान सभा है। (भारी व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बिजनेस चलाना चाहते हैं? (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप हाउस नहीं चलाना चाहते? आप हाउस नहीं चलने देंगे? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): चलाना चाहते हैं। कौन कहता है कि नहीं चलाना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप किसी की बात सुनें तो सही। (व्यवधान) उस बात पर आपको क्या एतराज है वह बताओ। आपने गवर्नमेंट से जवाब मांगा था। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में आप बिजनैस लीजिये। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था करिये। आगे सदन का काम चलाइये। (व्यवधान) राज्य की जनता को एक आदमी रेन्सम पर नहीं रख सकता। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार किसी भी स्टेज पर जाने के लिए तैयार है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपस में बात मत कीजिये। माननीय सदस्य, आप आसन की बात सुनना नहीं चाहते। बैठ जाइये। आप आसन की बात नहीं सुनना चाहते। आप मुझे बोलने दीजिये। आप आसन को बोलने दीजिये। आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जो भी कहना है नेता प्रतिपक्ष कह सकते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे निवेदन है कि मुख्य मंत्री जी ने राय मांगी थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहूंगा, विधान सभा अध्यक्ष ने राय मांगी थी और उनकी मांग पर मांगी थी। एडवोकेट जनरल की जो ओपीनियन आई है, विधान सभा सैक्रेटरी को भेजा है। यह विधान सभा अध्यक्ष जी ने मांगी है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह क्या हो रहा है आपको, ये नहीं देख रहे हैं जो वो खड़े हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः यह स्पीकर महोदय की तरफ से राय मांगी गई थी और आपका रिप्रजेंटेशन आने के बाद मांगी गई थी। उसके ऊपर राय आई है, आप इस राय को पढ़कर के.....

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह कोई बात है, आज क्यों आई है? आज क्यों आई है? आज क्यों आ रही है यह बता दीजिये आप। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): राय लेने में टाइम लगता है तो लगता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः इसमें कोई समय सीमा तय नहीं थी। एडवोकेट जनरल ने अपनी मेहनत करके जो उन्होंने टाइम लिया वह टाइम उनको दिया गया और उन्होंने अपनी राय भेजी है। आप इस राय को देखिये और उसके बाद भी बहस करना चाहेंगे तो आपको बहस का मौका दिया जाएगा। इसमें कौनसी दिक्कत आ गई?

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट अलाऊ करेंगे? आप बोल रहे हैं?

श्री उपाध्यक्षः नेता, प्रतिपक्ष बोल रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, यह तीन दिन से विधान सभा में गतिरोध बना हुआ है और कोई समस्या का मुद्दा यहां पर उठाया नहीं जा सका, बहुत ही दुःख की बात है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः आप बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं कल भी इस पर बोलना चाहता था, आपने मुझे अनुमति भी प्रदान की पर आपकी अनुमति के बावजूद भी सत्ता पक्ष ने मुझे बोलने नहीं दिया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके लोगों ने।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, अगर मुझे बोलने की अनुमति हो और आप इनको चुप रखें तो मैं बोलूं नहीं तो फिर बोलने से कोई फायदा नहीं, बाकी तो जल ही रहा है जैसा चल रहा है।

श्री उपाध्यक्षः कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): तो उपाध्यक्ष महोदय, कल ही आपने मुझे अनुमति दी और आपकी अनुमति का कुछ नहीं हुआ, आपकी अनुमति के बावजूद भी मैं एक शब्द नहीं बोल सका और मुझे बोलना था वो बोलने से वंचित रहा। बड़ी कृपा हुई आपकी कि अभी आपने मुझे अनुमति दी। बीच में उन्होंने फिर व्यवधान शुरू किया, आपने इनको रोका या इन्हें ईश्वर ने सद्बुद्धि दी कि ये चुप हो गये। मुख्य मंत्री जी, इसमें हंसने की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्षः शांत रहिये। शांत रहिये। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह हमारे लिए बहुत सोचने की बात है, मरण की बात है। यह विधान सभा है और आपको और हमको जनता ने इसलिए नहीं भेजा कि अपन यहां पर जूतम-फांक करें। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): देखिये, यह नहीं चलेगा, यह नहीं चलेगा। आपको जो बोलना है वह बोल दीजिये न। आपने अभी यह प्रतिक्रिया, यह हुआ, आप बोल दीजिये। हमको अगर दु:ख नहीं होता तो इतने हल्ले के बावजूद हम इस हाउस में आकर इसको रोकने की कोशिश नहीं करते। हम बार-बार आपको कह रहे हैं, आपने ओपीनियन मांगी है, स्पीकर महोदय ने ओपीनियन मांगी है वह ओपीनियन आ गई है, वह ओपीनियन आपके सामने रखी हुई है। पूरे अख़बार लिख रहे हैं, पूरा प्रदेश हमें देख रहा है कि यहां किस तरीके से क्या हो रहा है, हम लोगों के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, हम लोगों को शर्मिन्दा होना चाहिए इसके ऊपर। हम कह रहे हैं कि बैठकर के बात करिये। (व्यवधान) माफी किस बात की? यहां आपके सामने ओपीनियन आई हुई है, मैं क्या कह रही हूं आपको, प़ढिये ओपीनियन और उस ओपीनियन को पढ़ने के बाद आपको जो बहस करनी है वह करिये, उस बहस का जवाब देने के लिए हम लोग खड़े हैं। आपको यहां हाउस में नहीं करना है तो बाहर चलिये, बाहर बैठकर के उसको सुलझायें परन्तु राजस्थान की जनता को ताक पर मत रखिये। मैं यही कह रही हूं आपको। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मुख्य मंत्री जी, लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दे रहे, डरा रहे हैं, ऐसे थोड़े ही होता है। (व्यवधान) ये कुछ बोल रहे थे। उपाध्यक्ष महोदय, ये कुछ बोल रहे थे, मुख्य मंत्री जी, ये बोल रहे थे, आपको तो सम्मान रखना चाहिए, ये कुछ बोल रहे थे। आपने खुद ने उनको वहां बोलने नहीं दिया। यह तो कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र में। बोलने नहीं दे रहे हैं, आप खुद खड़े हो गये, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। एक चीफ मिनिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दे। (व्यवधान) यह कोई तरीका है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बोलने से कौन रोक रहा है? बोलने से कौन रोक रहा है? बोलने से आप रोकते हो। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता के रूप में.... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): .... माननीय मुख्य मंत्री जी, 4-4 संसदीय सचिव बना दिये और राज्य का उन पर खर्चा हो रहा है। (व्यवधान) संसदीय सचिव बनाकर के गैर कानूनी काम कर दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कृपया शांत रहें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): राजस्थान की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में अपोजिशन लीडर के साथ लीडर ऑफ द हाउस ने ऐसा बिहेवियर कभी नहीं किया होगा। ऐसा बिहेवियर कभी नहीं किया होगा। शेमफुल है यह। (व्यवधान) शर्म की बात है। (व्यवधान)

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

एक माननीय सदस्य : कल जब ये नेता बोल रहे थे तो संयम लोढ़ा डिस्टर्ब कर रहे थे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री घनश्याम तिवाड़ी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

vkj/usc/1330/1q

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

आबकारी विभाग

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/आब/2007 दिनांक 05 नवम्बर, 2007 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, श्रीगंगानगर को नई शुगर फैक्ट्री स्थापित करने हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि अवाप्ति की सूचना जारी की गई है, सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़, सार्वजनिक निर्माण मंत्री एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे। (व्यवधान)

सार्वजनिक निर्माण विभाग

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिसूचना संख्या: एफ.8(58)/सानि/77/460 दिनांक 3 अगस्त, 2007 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27.10.1994 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: विधायी कार्य, विधेयक का पुर:स्थापन। प्रभारी मंत्री श्री रामनारायण डूडी प्रस्ताव करेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ये आपके कर्मों को रो रहे हैं। ये आपके कर्मों को रो रहे हैं। (व्यवधान)

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करता हूं। (व्यवधान)

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आकर नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है। एक घंटे के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.32 बजे, एक घंटे तक के लिए स्थगित हुई।)

Jk/akt/14.30/20.02.2008/2f

(14.33 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा-बहुत हमारी तरफ भी देखा करो, आप तो उधर ही उधर देखते हो।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी तरफ ही ज्यादा देखते हैं भई।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अब आपका पता नहीं चश्मे का नम्बर बदल गया या क्या हो गया।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी तरफ ही देखते हैं ज्यादा तो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): थोड़ा-बहुत हमारी तरफ भी तो, हम कुछ कहना चाहें तो हमको इजाजत ही नहीं...

श्री उपाध्यक्ष: ज्यादा आपकी तरफ ही देखते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): घनश्यामजी खड़े हो जायें, सांवरजी खड़े हो जायें, राजेन्द्र राठौड़ जब खड़े हो जायं, उनको बोलने देते हो, आप हमारी तरफ देखते ही नहीं हैं, इतनी खराब शक्ल तो नहीं है हमारी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ज्यादा तो आपकी तरफ ही देखते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हमारे को भी देखो, हमारी बात तो सुना करो साहब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ज्यादा तो आपकी तरफ ही देखते हैं भई। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हम तुम्हें रूलायेंगे, हम तुम्हें रूलायेंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह क्या है... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जब प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे थे, माननीय मुख्य मंत्री ने जिस तरह का...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अगर आप जिद रहे हैं, स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण कीजिये पहले। पहले मंत्रीजी खड़े हो गये हैं, इनको बोलने दीजिये, पहले। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता के साथ में जिस तरह....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। एक मिनट। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: तो आपने ही कल डिस्टर्ब किया था प्रतिपक्ष के नेता को, इसलिए आज आंसू आये हैं उनके। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जिस विषय को लेकर सदन में गतिरोध था, सदन की नेता ने भी कुछ कहा और अब जब हाउस एडजोर्न हुआ था तब प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच में आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात भी हुई है और आपने भी फरमाया है, कल सुबह दस बजे हम आपके वैश्म में बैठ कर सदन सुचारू रूप से चले, राज्य की जनता के यहां जो भी दुःख-तकलीफ के विषय हैं वह यहां आये, यह सभी पक्ष चाहते हैं उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि आज सदन का वातावरण थोड़ा भावुक हो उठा प्रतिपक्ष के नेता के भावुक होने के कारण, इसलिए अगर आप कल तक के लिए, हमारी कार्यसूची में सिर्फ एक छोटा सा बिल ले करना है, उसके बाद कल तक के लिए अगर एडजोर्न कर दें, तो कल बैठ कर अच्छे वातावरण में हम इस कार्यवाही को आगे चलायेंगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप हमारी भी सुनो उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह विधेयक तो पुरःस्थापित कर लें। (व्यवधान)

श्री रामलाल (बनेड़ा): नहीं, यह मंत्री रो लिये, सी.एम. भी रो ली...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, आप ही ने कहा है..

श्री रामनारायण चौधरी: आपका प्रस्ताव ठीक है लेकिन...(व्यवधान)

श्री रामलाल (बनेड़ा): कलक्टर रो लिया, सैक्रेटरी रो लिये, सब को रूला रहे हैं..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक विधेयक पुरःस्थापित कर देते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां, हां, कर लीजिये उपाध्यक्ष महोदय।

एक माननीय सदस्य: तो और रोना है....

श्री रामलाल (बनेड़ा): तुम्हारा नम्बर है, हम तो रो लिये पहले। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): चलो, कल कर लें। कर कर लेंगे। (व्यवधान) ठीक है, कल कर लेंगे। कल कर लेंगे उपाध्यक्ष महोदय। कल कर लेंगे अगर कोई, यह जो ले करना है, कल ले कर देंगे, कल कर देंगे, कोई बात नहीं, कल कर देंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सदन की बैठक कल 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.35 बजे गुरूवार, दिनांक 21 फरवरी, 2008 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

विषय सूचीबुधवार; 20 फरवरी, 2008

तारांकित प्रश्नोत्तर	1
राज्य में विद्युत उपभोग हेतु खरीद एवं आपूर्ति	1
सदन की मेज पर रखे गये पत्र	16
अधिसूचनाएं	16
आबकारी विभाग	16
सार्वजनिक निर्माण विभाग	16
विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन	16
राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 2008	16

सदस्य सूची (पृष्ठानुसार)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):, 9
डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना):, 2, 5
डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15
डा. सुरेश चौधरी (भादरा):, 3
मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):, 10, 15, 17, 18
श्री उपाध्यक्ष:, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री):, 11
श्री जुबेर खान (रामगढ़):, 11, 12
श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना):, 9
श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):, 2
श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11
श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):, 4, 7, 8
श्री रणवीर सिंह गुढ़ा (गुढ़ा):, 18
श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):, 4, 5
श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 19
श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री):, 16, 17
श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):, 5, 8
श्री रामलाल (बनेड़ा):, 18, 19
श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):, 1, 2, 15, 18
श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री):, 12, 13
श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):, 9, 10
श्री हीरालाल (निवाई):, 10
श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री):, 6, 12, 15